मांग संख्या 48

मुख्य शीर्ष 2014

मद क्रमांक 1 से 3 तथा 6 से 8

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य न्यायिक अकादमी हेतु इस वर्ष 3.00 करोड़ की राशि स्वीकृत की गयी है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 4

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार न्यायपालिका में क्षमता निर्माण हेतु न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 2010-11 में राशि रूपये 109.20 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,09,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 5

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार न्यायालय प्रबंधन की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से न्यायालय प्रबंधकों के पदों का सृजन किया जाना है । इस हेतु वर्ष 2010-11 हेतु राशि रूपये 174.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 9

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार मामलों के त्वरित निपटारे हेतु सुबह/शाम विशेष न्यायालयों के प्रचालन हेतु राशि रूपये 1091.20 लाख की राशि स्वीकृत की गई है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 10,91,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 10

राज्य में जिन न्यायालय भवनों को विरासत भवन घोषित किया गया है, उन भवनों के जीर्णोद्वार तथा संरक्षण कार्य हेतु तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राशि रूपये 196.40 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,96,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 11

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार लोक अदालत हेतु 43.66 लाख, कानूनी सहायता हेतु 87.34 लाख तथा ए.डी.आर. केन्द्र स्थापित करने हेतु 434.80 लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

अत: इन प्रयोजनों हेतु राशि रूपये 5,65,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2053

मद क्रमांक 12

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत प्रत्येक जिले में सृजित पूंजीगत परिसंपत्तियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से 1.00 करोड़ की राशि जिला नवाचार निधि के रूप में उपलब्ध करवायी जावेगी । इस हेतु वर्ष 2010-11 में राशि रूपये 360.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2054

मद क्रमांक 13

तेरहवें वित्त आयोग के अंतर्गत शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों के डाटाबेस तैयार करने हेतु रूपये 250.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 2,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2055

मद क्रमांक 14

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा अनुसार लोक अभियोजकों के प्रशिक्षण हेतु राशि रूपये 65.40 लाख स्वीकृत किये गये हैं ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 65,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 15 से 17

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत राज्य को सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य को पूरक अंशदान के रूप में प्रारंभिक शिक्षा मद में 13600.00 लाख की राशि स्वीकृत की गयी है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 1,36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2406

मद क्रमांक 18 से 22

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत वन संपदा के संरक्षण हेतु रूपये 5139.00 लाख का अनुदान वर्ष 2010-11 हेतु स्वीकृत किया गया है।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 51,39,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 3454

मद क्रमांक 23 से 24

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत सांख्यिकीय प्रणाली में सुधार हेतु रूपये 360.00 लाख स्वीकृत किया गया है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 25

तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे के लोगों को विशिष्ट पहचान पत्र (यू आई डी) में पंजीकरण कराने में प्रोत्साहित करने हेतु प्रति व्यक्ति 100 रूपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की गई है । इस हेतु वर्ष 2010-11 में राशि रूपये 1820.00 लाख प्राप्त होना अनुमानित है ।

अत: इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 18,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।